जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 22.11.2022

महिला थाना

महिला थाना पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले मे वाछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 22.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में महिला थाना पुलिस द्वारा सूचना पर तीन तलाक के मामले मे 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध मे महिला थाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.10.2022 को वादिया श्रीमति साईस्ता परवीन पुत्री इमामुद्दीन निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली ने उसके पति वाजिद खान द्वारा 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में महिला थाना शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर महिला थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.वाजिद खान पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम गागनौली थाना दोघट जिला बागपत।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0स0 41/22 धारा 498ए/323/504 भादवि0, व 3/4 दहेज अधि0 व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा अधिनियम 2019।

<u>थाना बाबरी</u>

थाना बाबरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 03 जुआरी किये गिरफ्तार , कब्जे से नकदी 1710/- रुपये व ताश की गड्डी बरामदः-

दिनांक 21.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये अपराध की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 03 जुआरियों को नकदी 1710/-रुपये व ताश की गड्डी के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- सोनू पुत्र जगमेहर निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।

2- मुरारी पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

3- राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- नकदी 1710/-रुपये

2- ताश की गड्डी।